

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2980] No. 2980] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 23, 2017/कार्तिक 1, 1939

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 23, 2017/KARTIKA 1, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3401(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 247 के अधीन स्वयं में विहित शक्तियों और कार्यों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को इस शर्त के अध्याधीन प्रत्यायोजित करती है कि यदि केन्द्र सरकार का मत हो कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है तो, शक्तियों के इस प्रत्यायोजन को रद्द कर सकती है या उक्त धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकती है।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.1/27/2013-सीएल-V(भाग-I)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2017

S.O. 3401 (E).—In exercise of the powers conferred by section 458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby delegates the powers and functions vested in it under section 247 of the said Act to the Insolvency and Bankruptcy Board of India, subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers or it may exercise the powers under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/27/2013-CL-V(Part-I)] AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

6351 GI/2017